

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम परवण के खाता सं. 168 खसरा नं. 497/2 में आवेदन पत्र अनुसार जाति "बलाई" के स्थान पर जाति बैश्वा शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प FRC ग्राम पंचायत परवण में दिनांक 4-6-25 को मजमेआम में सुनाया गया।

20/01/26  
4/6/26  
उपस्थित अधिकारी  
फागी, जयपुर